



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला
तहसील
आवेदन क्र०
प्रमाणपत्र क्र०

मुरादाबाद
कौंठ
221350030059014
046223005185

जारी दिनांक: 20/08/2022

प्रमाणित किया जाता है कि
पुरुष/पुर्णि
माता का नाम
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

किरन/KIRAN
गोपाली सिंह
आनन्दी
मौड़ा
मौड़ा तईया
कौंठ
मुरादाबाद



उत्तर प्रदेश राज्य की **सुनी** जाति के अन्तिक हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुमूलित जातियों, अनुमूलित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुमूली एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि किरन/KIRAN पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा मंशोधित) की अनुमूली २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुमूलित जातियों, अनुमूलित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (मंशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एंव जो ३० प्र० लोक सेवा अनुमूलित जातियों, अनुमूलित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (मंशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० मी०-॥।, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा मंशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर नीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में तथा विहिप छूट सीमा से अधिक मम्पन्नि नहीं है।



VIBHA
SRIVASTAVA

Digitally Signed by
VIBHA
SRIVASTAVA
O=TEHSIL
KANTH,
OU=REVENUE,
C=IN,CN=VIBHA
SRIVASTAVA,
S=UTTAR
PRADESH

सम्म अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
कौंठ, मुरादाबाद
दिनांक: 20/08/2022

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिंचायन से हस्ताक्षरित है एवम् आवेदक द्वारा स्वयं की नींग इन आइडी के माध्यम से डाउनलोड किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <https://edistrict.up.gov.in> पर इसका पहले आवेदन क्र० किर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर सत्यापित किया जा सकता है।